निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1942 (श0)
(सं0 पटना 960) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2020

okf.kT;&dj foHkkx

---

vf/klpuk
18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 199, दिनांक 18 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।
(1)	(2)	(3)
1	अक्टूबर, 2020 से दिसंबर, 2020	13 जनवरी, 2021
2	जनवरी, 2021 से मार्च, 2021	13 अप्रैल, 2021

3. अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2360)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

18 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 199, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2360)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 18th December 2020

S.O. 199, Dated 18th December 2020— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	October, 2020 to December, 2020	13th January, 2021
2	January, 2021 to March, 2021	13th April, 2021

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2360]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 960-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in